न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–79 / 2018

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–05.07.2018

निर्णय दिनांकः– 13.06.2019

उनवान

अख्तर अली पुत्र फकीर मोहम्मद , जाति–देशवाली मुसलमान, निवासी ग्राम–डारड़ातुर्की, तह0 पीपलू जिला–टोंक

वादी

बनाम

1.फकीर मोहम्मद पुत्र गफूर खॉ, जाति–देशवाली मुसलमान , निवासी ग्राम डारड़ातुर्की तह0 पीपलू जिला–टोंक

2.शकीला पुत्री फकीर मोहम्मद पत्नि मोहम्मद ईस्माइल जाति–देशवाली मुसलमान , निवासी ग्राम डारड़ातुर्की तह0 पीपलू जिला–टोंक, हाल मुकाम नाले के पास मालपुरा, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक

3.सलमा पुत्री फकीर मोहम्मद पत्नि अमीन खॉ जाति–देशवाली मुसलमान , निवासी ग्राम डारड़ातुर्की तह0 पीपलू जिला–टोंक, हाल मुकाम नयाटीला, तह0–पीपलू, जिला–टोंक

4.महरून पुत्री फकीर मोहम्मद जाति–देशवाली मुसलमान , निवासी ग्राम डारड़ातुर्की तह0 पीपलू जिला–टोंक

5.फरजाना पुत्री फकीर मोहम्मद जाति–देशवाली मुसलमान , निवासी ग्राम डारड़ातुर्की तह0 पीपलू जिला–टोंक

6.तहसीलदार, पीपलू

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

दावा बाबत् उद्घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांक--13.06.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खसरा न0 1079, 1080, 1081, 1082, 1169, 1171, 1172, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 1187, 1188, 1224, 1225, 2236, 2237, 2246, 2315, 2601 कुल किता 21 कुल रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डारड़ातुर्की में स्थित हैं। जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 फकीर मोहम्मद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम दर्ज खातेदारी की भूमि 55 बीघा 12 बिस्वा में से खसरा न0 1449 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डारडातुर्की को अपने व अपनी पत्नी के जीवन यापन के लिए रखते हुए अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव धौंस के राजीखुशी से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 की सेवा से प्रसन्न होकर परिवार व ग्राम जन की मौजुदगी में ईद के दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद दिनांक 16 जुन 2018 को मुस्लिम शरियत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 को बहिस्सा बराबर जुबानी हिबा कर दी थी तथा मौके पर जाकर हिबा की गई सम्पत्ति पर कब्जा दे दिया था तथा बैंक लोन की अदायगी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के जिम्मे रखी गई हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये मौखिक हिबा से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 हिबा की गई सम्पत्ति के मालिक काबिज स्वामी बन चुके हैं तथा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिसके लिए उन्होने वाद उद्घोषणा प्रस्तुत किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री कमलेश गुर्जर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा पत्रावली में वादी और प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र पेश किया साथ ही नेहनूलाल गुर्जर, मोती गुर्जर, अमीन खॉ के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 01 फकीर मोहम्मद ने भी बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत जवाब दावे एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वीकार किया हैं कि उसने आराजी खसरा न0 1449 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डारड़ातुर्की की भूमि को छोड़कर शेष भूमि 50 बीघा 17 बिस्वा भूमि का जुबानी हिबा ईद के दिन दिनांक 16 जुन 2018 को वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 जो उसके पुत्र, पुत्रीया हैं को कर दिया हैं। उनके नाम भूमि दर्ज करने में प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने मुस्लिम शरियत के अनुसार जुबानी हिबा किया हैं, जो सही हैं। हिबा की गई सम्पत्ति पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 को काबिज करा दिया हैं। जिसे गवाहन् ने भी अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया हैं।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद/वादी स्वीकार किये जाने के कारण एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1079, 1080, 1081, 1082, 1169, 1171, 1172, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 1187, 1188, 1224, 1225, 2236, 2237, 2246, 2315, 2601 कुल किता 21 कुल रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डारड़ातुर्की में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं बैंक ऋण अदायगी नहीं होने तक आराजी पर बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू